ईसीजीसी लिमिटेड

कारोबार आचरण एवं नैतिकता संहिता

(निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों हेतु)

1.0 प्रस्तावना

1.1 इस संहिता को ईसीजीसी लिमिटेड (बाद में "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के "निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों हेतु "कारोबार आचरण एवं नैतिकता संहिता" कहा जाएगा ।

1.2 इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना है।

1.3 निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह संहिता विशेष रूप से सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार की गयी है।

1.4 यह निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की तिथि से प्रभावी होगी।

2.0 परिभाषाएँ एवं व्याख्याएँ

2.1 "निदेशक मण्डल के सदस्य" शब्द का अर्थ कंपनी के निदेशक मण्डल के निदेशकों से हैं।

2.2 "पूर्णकालिक निदेशक" या "कार्यात्मक निदेशक" शब्द का अर्थ कंपनी के निदेशक मण्डल के उन निदेशकों से हैं, जो कंपनी के पूर्णकालिक रोजगार में हैं।

2.3 "अंशकालिक निदेशक" शब्द का अर्थ कंपनी के निदेशक मण्डल के उन निदेशकगण से हैं, जो कंपनी के पूर्णकालिक रोजगार में नहीं हैं।

2.4 "संबंधी" शब्द का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में परिभाषित अर्थ के अनुसार है।

2.5 "वरिष्ठ प्रबंधन" शब्द का अर्थ कंपनी के ऐसे कार्मिकों से हैं जो निदेशक मण्डल के इतर इसकी कोर प्रबंधन टीम के सदस्य हैं एवं इसमें सभी कार्यात्मक प्रमुखों सहित पूर्णकालिक निदेशकों से एक स्तर नीचे प्रबंधन के सभी सदस्य शामिल होंगे।

2.6 "कंपनी" शब्द का अर्थ "ईसीजीसी लिमिटेड" होगा।

नोट: इस संहिता में पुलिंग के तत्सम शब्दों में स्त्री लिंग शामिल होगा एवं एकवचन तत्सम शब्दों में बहुवचन शामिल होंगे अथवा इसके विलोमतः भी हो सकता है।

3.0 प्रयोज्यता:

3.1 यह संहिता निम्नलिखित कर्मियों पर लागू होगी:

क) कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित सभी पूर्णकालिक निदेशक।

ख) विधिक प्रावधानों के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी अंशकालिक निदेशक

ग) वरिष्ठ प्रबंधन।

3.2 पूर्णकालिक निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा कंपनी की अन्य लागू / लागू होने वाली नीतियों, नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना जारी रखा जाएगा।

4.0 संहिता की सूची :

भाग I सामान्य नैतिक दायित्व

भाग II विशिष्ट पेशेवर उत्तरदायित्व

भाग III निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

4.1 इस संहिता का उद्देश्य पेशेवर कार्य के संचालन में नैतिक निर्णय लेने हेतु आधार के रूप में कार्य करना है। इसका उपयोग पेशेवर नैतिक मानकों के उल्लंघन से संबंधित औपचारिक शिकायत के मूल्यांकन करने के लिए एक आधार के रूप में भी किया जा सकता है।

4.2 यह समझा जाता है कि आचरण एवं नैतिकता संहिता दस्तावेज़ में कुछ शब्द एवं वाक्यांश अलग-अलग व्याख्याओं के अधीन हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।

भाग-1

5.0 सामान्य नैतिक दायित्व

5.1 समाज एवं मानव कल्याण में योगदान

5.1.1 सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित यह सिद्धांत मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा करने एवं सभी संस्कृतियों की विविधता का सम्मान करने के दायित्व के संबंध में है। हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे प्रयासों के प्रतिफल सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीकों से उपयोग किए जाएंगे, सामाजिक जरूरतों को पूरा करेंगे एवं दूसरों के स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए हानिकारक रूप से प्रभावित नहीं करेंगे। एक सुरक्षित सामाजिक वातावरण के अलावा, मानव कल्याण में एक सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण भी शामिल है।

5.1.2 इसलिए, निदेशक मण्डल के सभी सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन, जो कंपनी के उत्पादों के डिजाइन, विकास, निर्माण एवं प्रचार के लिए उत्तरदायी हैं, उनको सतर्क रहना चाहिए, एवं दूसरों को मानव की सुरक्षा के लिए कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारी से जीवन एवं पर्यावरण, दोनों के बारे में जागरूक करना चाहिए।

5.2 ईमानदार एवं विश्वसनीय रहना एवं सत्यनिष्ठा अपनाना

5.2.1 सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी विश्वास के आवश्यक घटक हैं। विश्वास के बिना कोई संगठन प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकता हैं।

5.2.2 निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक उद्यम के व्यवसाय का संचालन करते समय व्यक्तिगत एवं कारोबार सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों के अनुसार कार्य करें।

5.3 निष्पक्ष रहें एवं भेदभाव न करने हेतु कार्यवाही करें

5.3.1 समानता का मूल्य, सहिष्णुता, दूसरों के लिए सम्मान एवं समानता तथा न्याय के सिद्धांत इस अनिवार्यता के अधीन हैं। वर्ण, लिंग, धर्म, जाति, आयु, भाषा, दिव्यांगता, राष्ट्रीय मूल अथवा ऐसे अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव इस संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।

5.4 गोपनीयता का सम्मान करें

5.4.1 सूचना की गोपनीयता ईमानदारी के सिद्धांतो के अंतर्गत आती है। सभी हितधारकों के गोपनीयता को बनाए रखना तब तक नैतिक ज़िम्मेदारी होती है जब तक विधिक रूप से अथवा इस संहिता के अन्य सिद्धांतो द्वारा इस प्रकार के दायित्व समाप्त नहीं होते।

5.4.2 इसलिए निदेशक मण्डल के सभी सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा कंपनी के कारोबार एवं मामलों के बारे में सभी गोपनीय अप्रकाशित सूचनाओं की गोपनीयता को बनाए रखेंगे।

5.5 प्रतिज्ञा एवं अभ्यास

5.5.1 गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर प्रयास करना।

5.5.2 जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए अथक प्रयास करना।

5.5.3 सतर्क रहना एवं कंपनी के विकास तथा प्रतिष्ठा की दिशा में कार्य करना ।

5.5.4 संगठन को गौरवान्वित करें एवं कंपनी के हितधारकों को नैतिक मूल्य-आधारित सेवाएं प्रदान करें।

5.5.5 बिना किसी भय अथवा पक्षपात के निष्ठापूर्वक कर्तव्य का पालन करना ।

भाग- II

6.0 विशिष्ट पेशेवर उत्तरदायित्व

6.1 प्रत्येक दिन कंपनी के विजन, मिशन एवं नैतिक मूल्यों का पालन करना

प्रत्येक दिन कंपनी के विजन**,** मिशन एवं नैतिक मूल्यों पालन करना। त्वरित संदर्भ के लिए ये निम्नलिखित हैं:

विजन

निर्यात ऋण बीमा एवं व्यापार संबंधी सेवाओं को उत्कृष्ट बनाना

मिशन

भारतीय निर्यात बाजार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध श्रोतों का अनुकूल उपयोग करते हुए किफ़ायती बीमा तथा व्यापार संबंधी सेवाएँ प्रदान कर भारतीय निर्यात उद्योग की सहायता करना।

नैतिक मूल्य

- उत्कृष्टता एवं परिवर्तन के लिए उत्साह
- सभी मामलों में ईमानदारी एवं निष्पक्षता
- व्यक्तियों की गरिमा एवं क्षमता का सम्मान
- प्रतिबद्धताओं का कड़ाई से अनुपालन
- प्रतिक्रिया की गति सुनिश्चित करें
- फोर्स्टर लर्निंग, क्रियात्मकता एवं समूह कार्य
- कंपनी के प्रति निष्ठा एवं इस पर गर्व

6.2 पेशेवर कार्य की प्रक्रियाओं एवं उत्पादों दोनों में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावशीलता तथा गरिमा प्राप्त करने का प्रयास

संभवतः उत्कृष्टता एक पेशेवर का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। इसलिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पेशेवर कार्य में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावशीलता तथा गरिमा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

6.3 पेशेवर क्षमता हासिल करना एवं बनाए रखना

उत्कृष्टता, पेशेवर क्षमता प्राप्त करने एवं बनाए रखने का उत्तरदायित्व वाले व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। इसलिए, सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे सक्षमता के उपयुक्त स्तरों के लिए मानक स्थापित करने व उन्हे प्राप्त करने का प्रयास करें।

6.4 कानून का अनुपालन

कंपनी के निदेशक मण्डल के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन वर्तमान स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सभी लागू प्रावधानों का पालन करेंगे। उन्हें कंपनी के कारोबार से संबंधित नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों एवं विनियमों का भी पालन करना चाहिए।

6.5 उचित पेशेवर समीक्षा स्वीकार करें एवं प्रदान करें

गुणवत्तापूर्ण पेशेवर कार्य, पेशेवर समीक्षा एवं टिप्पणियों पर निर्भर करता है। जहां भी आवश्यक हो, व्यक्तिगत सदस्यों को सहकर्मी से समीक्षा प्राप्त एवं उसका उपयोग करना चाहिए साथ ही अपने सहकर्मी के कार्य की आलोचनात्मक समीक्षा प्रदान करनी चाहिए।

6.6 कामकाजी जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कर्मियों एवं संसाधनों का प्रबंधन करें

संगठनात्मक नेतृत्व का दायित्व है कि सहकर्मी के लिए एक अनुकूल कार्य एवं कारोबार वातावरण बनाए जाने को सुनिश्चित करें ताकि सहकर्मी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। सभी कर्मचारियों की मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने के प्रति निदेशक मण्डल के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन का उत्तरदायित्व है कि कंपनी के कर्मचारियों को सभी आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान करके उनके पेशेवर विकास को प्रोत्साहित एवं समर्थन किया जाए, जिससे कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि हो।

6.7 ईमानदार रहें एवं किसी भी प्रलोभन से बचें

निदेशक मण्डल के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार एवं अन्य संबंधों के माध्यम से कंपनी से जुड़े लेनदेन से उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्तिगत शुल्क, कमीशन अथवा पारिश्रमिक के अन्य रूप की मांग नहीं करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण मूल्य के उपहार अथवा अन्य लाभ शामिल हैं, जिन्हें कभी-कभी कंपनी हेतु कारोबार को प्रभावित करने अथवा किसी एजेंसी को अनुबंध देने आदि के लिए प्रदान किया जा सकता है।

6.8 कॉर्पोरेट अनुशासन का पालन करें:

कंपनी के भीतर संपर्क पद्धति कठोर नहीं हो एवं लोग सभी स्तरों पर स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। यद्यपि निर्णय लेने की प्रक्रिया में विचारों का स्वतंत्र आदान-प्रदान होता है, लेकिन चर्चा समाप्त होने एवं नीतियों पर एकमत होने के बाद, सभी से इसका अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है, भले ही कुछ मामलों में व्यक्तिगत रूप से कोई इससे सहमत न हो। कुछ मामलों में नीतियां कार्रवाई के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं एवं अन्य में उन्हें कार्रवाई पर रोक लगाने के

लिए डिज़ाइन किया जाता है। सभी को इस अंतर को पहचानना सीखना चाहिए एवं इसका पालन करने को बढ़ावा देना चाहिए।

6.9 **कंपनी की साख दर्शाने वाले आचरण को अपनाना**

सभी से ऑन एवं ऑफ ड्यूटी के समय इस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की जाती जो कंपनी के साख को दर्शाए। जिस तरह से संगठन के भीतर तथा सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण एवं व्यवहार दोनों का कंपनी की छवि पर असर होता है ।

6.10 **कंपनी के हितधारकों के प्रति जवाबदेह बनें**

वे सभी जो कंपनी से जुड़े हे हैं, चाहे वह ग्राहक हों, जिनके बिना कंपनी व्यापार नहीं कर सकती, चाहे वह शेयरधारक, जिनका व्यवसाय में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, चाहे वह कर्मचारी हैं, जो सभी कार्यों को निष्ठा से पूर्ण करते हैं, चाहे वह विक्रेता हों, जो सही समय पर कंपनी को उत्पाद वितरण में सहायता करते हैं एवं वह समाज जिसके प्रति कंपनी अपने कार्यों के माध्यम से उत्तरदायी है - कंपनी के हितधारक हैं। । इसलिए, सभी को हर समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे कंपनी के हितधारकों के प्रति जवाबदेह हैं।

6.11 कारोबार जोखिमों को पहचानना, कम करना व उनका प्रबंधन

कंपनी के किसी कार्य अथवा संचालन के क्षेत्र में आने वाले कारोबार जोखिमों की पहचान कर ऐसे जोखिमों के प्रबंधन की कंपनी-व्यापी प्रक्रिया में सहायता करने के लिए कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे का पालन करना हर किसी की जिम्मेदारी है, ताकि कंपनी अपने कारोबार उद्देश्य के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

6.12 कंपनी की संपत्तियों की रक्षा करना

निदेशक मण्डल के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा कंपनी की भौतिक संपत्ति, सूचना एवं बौद्धिक अधिकारों सहित संपत्ति की रक्षा की जाएगी तथा व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

भाग III

7.0 निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान

7.1 निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में

वे निदेशक मण्डल एवं उन समितियों की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेने का प्रतिबद्ध होंगे , जिनके वे सदस्य हैं।

7.2 निदेशक मण्डल के सदस्य के रूप में

7.2.1 उनके द्वारा कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कंपनी सचिव को अपने अन्य निदेशक मण्डल पदों में किसी भी बदलाव, अन्य कारोबार के साथ संबंध एवं अन्य घटनाओं / परिस्थितियों / शर्तों के बारे में सूचित करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे जो निदेशक मण्डल / निदेशक मण्डल उप-समिति को निष्पादित करने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप कर सकते हैं अथवा डी पी ई के दिशानिर्देशों की स्वतंत्रता आवश्यकताओं के अनुसार निदेशक मण्डल के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।

7.2.2 वे प्रतिबद्ध होंगे कि निदेशक मण्डल के अनिच्छुक सदस्यों के पूर्व अनुमोदन के बिना वे हितों के स्पष्ट टकराव से बचेंगे। हितों का टकराव तब हो सकता है जब उनका व्यक्तिगत हित हो जो कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। निम्नलिखित मामले, उदाहरण हो सकते हैं:

- संबंधित पार्टी लेनदेन

कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनियों के साथ किसी भी लेनदेन अथवा संबंध करना, जिसमें उनका वित्तीय अथवा अन्य व्यक्तिगत हित हो (या तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जैसे परिवार के किसी सदस्य अथवा संबंध अथवा अन्य व्यक्ति अथवा अन्य संगठन में किसी माध्यम से वे जुड़े हुए हैं)।

- बाह्य निदेशन

कंपनी के व्यवसाय के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली किसी अन्य कंपनी के निदेशक मण्डल में निदेशक का पद स्वीकार करना।

- परामर्श / कारोबार / रोजगार

किसी भी गतिविधि में शामिल होना (चाहे वह परामर्श सेवा प्रदान करने, कारोबार करने, रोजगार स्वीकार करने की प्रकृति का हो) जो कंपनी के प्रति उनके कर्तव्यों / जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप अथवा विरोध करने की संभावना है। उन्हें कंपनी के किसी आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता अथवा ग्राहक के साथ किसी अन्य तरीके से निवेश अथवा स्वयं को संबन्धित नहीं करना चाहिए।

7.2.3 -व्यक्तिगत लाभ के लिए आधिकारिक पद का उपयोग

व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने आधिकारिक पद का उपयोग नहीं करना चाहिए।

7.3 कारोबार आचार संहिता एवं नैतिकता का अनुपालन

7.3.1 निदेशक मण्डल के सभी सदस्य एवं कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इस संहिता के सिद्धांतों को बनाए रखने एवं बढ़ावा देने हेतु प्रयास करेंगे

संगठन का भविष्य तकनीकी एवं नैतिक उत्कृष्टता दोनों पर निर्भर करता है। निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए इस संहिता के सिद्धांतों का न केवल पालन करना महत्वपूर्ण है, बल्कि उनमें से प्रत्येक को दूसरों द्वारा पालन को प्रोत्साहित एवं समर्थन भी करना चाहिए।

7.3.2 इस संहिता के उल्लंघन को संगठन के साथ असंगत संबंध की तरह समझें

आमतौर पर पेशेवरों के लिए आचार संहिता का पालन काफी हद तक एक स्वैच्छिक मामला है। तथापि, यदि निदेशक मण्डल का कोई सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन इस संहिता का पालन नहीं करता है, तो निदेशक मण्डल द्वारा मामले की समीक्षा की जाएगी एवं निदेशक मण्डल का निर्णय अंतिम होगा। कंपनी के पास चूककर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।

7.4 विविध बिन्दु

7.4.1 संहिता का निरंतर अद्यतन

यह संहिता कानून में किसी भी परिवर्तन, कंपनी के दर्शन, विजन, कारोबारी योजनाओं अथवा किसी अन्य मामले में परिवर्तन के अनुरूप निरंतर समीक्षा एवं अद्यतन के अधीन है, जैसा कि निदेशक मण्डल द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है, एवं इस तरह के सभी संशोधन / सुधार, संभावित रूप से बताए गए दिनांक से प्रभावी होंगे।

7.4.2 स्पष्टीकरण कहाँ से प्राप्त करें

निदेशक मण्डल के किसी भी सदस्य अथवा वरिष्ठ प्रबंधन जिनको इस आचार संहिता के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो वह कंपनी सचिव / निदेशक मण्डल द्वारा विशेष रूप से नामित किसी भी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

***** यदि इस जानकारी के अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच कोई विरोध है, तो अंग्रेजी संस्करण हिंदी पर प्रबल होगा|**